रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30062026-273952
CG-MH-E-30062026-273952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30 , 2026/ आषाढ 9, 1948
No. 421] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 23 जून, 2026

अधिसूचना सं.विवि.एफआईएन.67/03.10.001/2026-27.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-एनसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा यह घोषणा करता है कि उक्त अधिनियम की धारा 45-आईए और 45-आईसी के प्रावधान, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, गैर बैंकिंग वितीय कंपनी 'जो सार्वजनिक निधियों का लाभ नहीं उठा रही है और जिसका कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है' पर लागू नहीं होंगे:

(1) यह बिना किसी सार्वजनिक निधि और बिना किसी ग्राहक इंटरफ़ेस के काम करता है, जो इसका सोच-समझकर बनाया गया और लंबे समय का बिज़नेस मॉडल है;

(2) पिछले ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार, इसकी आस्ति आकार ₹1,000 करोड़ से कम है;

(3) यह वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एक वार्षिक बोर्ड संकल्प पारित करता है कि यह उस वर्ष के दौरान न तो सार्वजनिक निधि लेगा और न ही इसका कोई ग्राहक इंटरफ़ेस होगा;

(4) यह अपने वित्तीय विवरणों के 'नोट्स टू अकाउंट्स' में यह जानकारी देता है कि यह एक 'अपंजीकृत टाइप-I गैर बैंकिंग वितीय कंपनी' है, और साथ ही सार्वजनिक निधि और ग्राहक इंटरफ़ेस की स्थिति के बारे में भी बताता है।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन ढाँचा) निर्देश, 2025, दिनांक 28 नवंबर, 2025 में दिया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

3. यह अधिसूचना जुलाई 01, 2026 से लागू होगी।

जे.पी.शर्मा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./190/2026-27]

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Regulation)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd June, 2026

Notification No. DoR.FIN.67/03.10.001/2026-27.—In exercise of the powers conferred under Section 45NC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India, on being satisfied that it is necessary so to do, hereby declares that the provisions of Sections 45IA and 45IC of the said Act, shall not apply to an 'NBFC not availing public funds and not having any customer interface', subject to the following conditions:

(1) It operates without public funds and without customer interface, as its conscious and long-term business model;

(2) Its asset size is less than ₹1,000 crore as per the last audited balance sheet;

(3) It passes an annual Board Resolution at the beginning of the financial year that the company will not avail public funds and will also not have customer interface during the year; and

(4) It discloses in its Notes to Accounts to the financial statements that it is an 'Unregistered Type I NBFC' along with the status of public funds and customer interface.

2. For the purpose of this Notification, the words and expressions used shall have the same meaning as assigned to them in the Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Registration, Exemptions and Framework for Scale Based Regulation) Directions, 2025 dated November 28, 2025, as amended from time to time.

3. This notification shall come into force on the 1st of July, 2026.

J. P. SHARMA, Chief General Manager-in Charge

[ADVT.-III/4/Exty./190/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA